भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 327
20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स (पीएसीएस) का निधियन

327. श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण हेतु चिह्नित किया है और इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) बिहार के कितने पैक्सों को इसका लाभ मिलेगा;

(ग) इस योजना के तहत बिहार को प्रति पैक्स कितनी राशि मिलेगी और बिहार को कुल कितनी राशि मिलेगी;

(घ) क्या पहले से कंप्यूटरीकृत पैक्सों के उन्नयन हेतु भी राशि दी जाएगी; और

(ङ) क्या कंप्यूटरों के रखरखाव एवं कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु भी राशि का प्रावधान किया गया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) त्रिस्तरीय ग्रामीण ऋण अवसंरचना के सबसे निचले स्तर पर मौजूद 63,000 कार्यशील पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 2516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण" की एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना स्वीकृत की गई है ।

(ख) और (ग): नाबार्ड द्वारा किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में लगभग 5,618 पैक्स कार्यशील हैं जिन्हें इस परियोजना से लाभ मिलेगा । तथापि, संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर सभी कार्यशील पैक्स को उक्त परियोजना के अधीन कंप्यूटरीकरण के लिए लिया जाएगा । कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण पर प्रति पैक्स व्यय 3,91,369/- रुपए है जिसमें हार्डवेयर, मल्टी फंक्शनल डिवाइसों, सभी व्यापार, प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण व लीगेसी डेटा पोर्टिंग, अनुरक्षण और हैंडहोल्डिंग सहयोग आदि को कवर करने वाली एक समग्र ईआरपी समाधान की खरीद शामिल है । हार्डवेयर, डिजिटलीकरण और सहयोग प्रणाली पर होने वाले व्यय को भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा । सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा और डेटा संग्रहन, प्रशिक्षण जैसे अन्य घटकों और पीएमयू की स्थापना में होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा ।

(घ) ऐसे राज्यों में जहां पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो चुका है वहां 50,000 रुपए प्रति पैक्स की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि वे कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में एकीकृत होने को राजी हों, उनके हार्डवेयर अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा करते हों, और पैक्स का कंप्यूटरीकरण दिनांक 1 फरवरी, 2017 अर्थात्, वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा की तारीख के बाद आरंभ हुई हो ।

(ङ) इस परियोजना में सहयोग प्रणाली का एक प्रावधान है जहां औसतन लगभग प्रति 200 पैक्स/जिला स्तर पर एक सहयोग केन्द्र स्थापित की जाएगी । ये सहयोग केन्द्र परियोजना अवधि के दौरान वर्ष 2027 तक पैक्स को हार्डवेयर सहयोग, अनुरक्षण, प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग प्रदान करेंगे । समिति को अपने दैनिक प्रचालनों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर सहित श्रमबल की व्यवस्था करनी होगी ।

*****